

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

मनोज कुमार बनाम अज्ञात डेवी  
 किस्म मुकदमा दावा (88, 188) मु.नं. 206 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
14/10/2025	<p>वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 20.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
20/11/25	<p>पत्रावली के डेडी वकील वरि उप।  <del>पत्रावली वादते तलबी जामे अव डिनि</del>  <del>24/11/25 के डेडी</del></p>
24/11/25	<p><del>पत्रावली के डेडी वकील वरि व</del>  <del>वरि केन अनुपस्थित न्यायालय लागने</del>  <del>वकील वरि व वरि स्वयं के माल उप</del>  <del>कावाज कार्य के 1 जबर के वक्यूड नी</del>  <del>उपस्थित नही होने पर पत्रावली सी</del>  <del>लाल पर न्याय प्रेसी/ न्याय हाजिरी के</del>  <del>रखाजि किने गान के नोडन डिपोजिट</del>  <del>के पत्रावली वरि उप (उप डेडी व)</del>  <del>वकील उपस्थित उपर वरि</del></p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

